(305)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः– प.5(3)नविवि/3/91

जयपुर दिनांक 2 NOV 2007

परिपत्र

विषयः– कृषि भूमि पर बसी हुई आवासीय कॉलोनियों के नियमन हेतु सामान्य पैरामीटर्स में शिथिलन बाबत।

इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 06.09.07 में दिये निर्देशों के बिन्दु सं. 1(अ) में निम्न संशोधन किये जाते है :–

जिन कॉलोनियों में 22.12.99 से पूर्व 50 प्रतिशत से अधिक निर्माण हो चुका है उनमें निर्माण का साक्ष्य बिजली एवं पानी के बिल अतिरिक्त निम्न अन्य दस्तावेजात भी इस श्रेणी में सम्मिलित होगें बशर्ते कि ऐसे दस्तावेजात में संबंधित व्यक्ति के निवास स्थान का पता उसी जगह का अंकित हो, जहां का वह पट्टा चाहता है। अतः ऐसे स्थिति में साक्ष्य के रूप में, निम्नलिखित दस्तावेज मान्य होंगे :–

1. बिजली एवं पानी के बिल
2. पासपोर्ट
3. ड्राईविंग लाईसेन्स
4. आयकर पहचान पत्र (पेनकार्ड)
5. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/ डाकघर/किसान पास बुक
   (दिनांक 22.12.99 या उससे पूर्व खोला गया खाता)
6. स्थापित दस्तावेज जैसे पट्टा, रजिस्ट्रीकृत विलेख आदि
7. पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन, भूतपूर्व सैनिक, विधवा /पेंशन अदायगी आदेश /आश्रित प्रमाण–पत्र/वृद्धावस्था पेंशन आदेश/ विधवा पेंशन आदेश
8. स्वतंत्रता सैनानी प्रमाण–पत्र

उक्त परिपत्र में अन्य शर्ते यथावत रहेगी। यहां यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि उक्त समस्त शर्ते 70 से 75 प्रतिशत तक आवासीय क्षेत्रफल वाली योजनाओं के नियमन हेतु बाध्यकारी है। इससे कम अनुपात की अवस्था में विभागीय परिपत्र दिनांक 1[illegible].01.02 के अनुरूप ही नियमन की कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है।

(परविन्दर सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपिः—

1. निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मा. राज्यमंत्री, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण/राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)।
9. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव—प्रथम